# Scholarship Details 2021

**Maharaja Ganga Singh University**
A State University of Higher Education for Dignity and Self-Reliance
Approved by UGC under Section 12B of the UGC Act 1956

NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Raj.) India
https://mgsubikaner.ac.in/

## YEAR 2021

| Sr | Scheme | Name | Total Amount* |
|---|---|---|---|
| 1 | Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj) | HUKAMA RAM | 64685 |
| 2 | Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj) | DHARM VEER | |
| 3 | Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj) | ROHIT SIROHI | |
| 4 | Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj) | ASHOK KUMAR | |
| 5 | Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj) | SARGAM | |
| 6 | Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj) | HEMA | |
| 7 | Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj) | DINESH CHALIYA | |
| 8 | Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj) | PANNA LAL MEGHWAL | |
| 9 | Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj) | SHANKAR LAL | |
| 10 | Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj) | ANIL KUMAR | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | **Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)** | **SUMAN LILAWAT** | |
| 12 | **Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)** | **JATAN LAL** | |
| 13 | **Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)** | **JYOTI SUMBRA** | |
| 14 | **Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)** | **SUNIL KUMAR KANTIWAL** | |
| 15 | **Post matric scholarship schemes Minorites (by Govt. of India)** | **AIZAZ AHMAD** | |

***The exact amount is not shared with university by the Govt/funding agency.**

Scholarship Portal
Government of Rajasthan

## Institute

Name : **MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY INSTITUTE**

Registration Date : **02/01/2017**

Audit Trail (Course Mapping) : View

## Course

Course Running By Institute, University-wise: View

Student Section

Academic Year/ शैक्षिक सत्र

2021-22

Department/ विभाग

SOCIAL JUSTICE

Status/ स्थिति

SCHOLARSHIP DISBURSED

Search Criteria

--SELECT--

ENTER VALUE

Showing 1-14 records of 14

Records Per Page 50

| Sr. No./ क्र. सं. | Academic Year/ शैक्षणिक वर्ष | Submit Date/ आवेदन की तिथि | Student Name/ विद्यार्थी का नाम | Mobile Number/ मोबाइल नं. | Application Id/ आवेदन आईडी | Caste Category/ जाति श्रेणी | Scheme Name/ योजना का नाम | Current Status/ वर्तमान स्थिति | Pending Days/ लंबित दिन | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-22 | 15-03-2022 11:48:38 AM | HUKAMA RAM | 8696222851 | SCHOLARSHIP/2021-22/4370465 (SEMESTER 4) | SC | SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE | SCHOLARSHIP DISBURSED | 53 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2021-22 | 24-03-2022 07:03:30 AM | DHARM VEER | 8239777098 | SCHOLARSHIP/2021-22/4337179 (YEAR 1) | SC | SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE | SCHOLARSHIP DISBURSED | **44** | |
| 3 | 2021-22 | 24-03-2022 09:14:48 AM | ROHIT SIROHI | 9460197775 | SCHOLARSHIP/2021-22/4382599 (YEAR 1) | SC | SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE | SCHOLARSHIP DISBURSED | **44** | |
| 4 | 2021-22 | 19-04-2022 01:56:58 AM | ASHOK KUMAR | 6376456263 | SCHOLARSHIP/2021-22/4347986 (YEAR 2) | SC | SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE | SCHOLARSHIP DISBURSED | **18** | |
| 5 | 2021-22 | 19-04-2022 02:27:05 AM | SARGAM | 9610726734 | SCHOLARSHIP/2021-22/4418742 (YEAR 1) | SC | SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE | SCHOLARSHIP DISBURSED | **18** | |
| 6 | 2021-22 | 19-04-2022 03:48:37 AM | HEMA | 7300199743 | SCHOLARSHIP/2021-22/4593654 (YEAR 1) | SC | SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE | SCHOLARSHIP DISBURSED | **18** | |
| 7 | 2021-22 | 22-04-2022 08:52:28 AM | DINESH CHALIYA | 7790846106 | SCHOLARSHIP/2021-22/4688238 (SEMESTER 1) | SC | SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE | SCHOLARSHIP DISBURSED | **15** | |
| 8 | 2021-22 | 22-04-2022 08:52:28 AM | PANNA LAL MEGHWAL | 8290282756 | SCHOLARSHIP/2021-22/4663769 (YEAR 2) | SC | SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE | SCHOLARSHIP DISBURSED | **15** | |
| 9 | 2021-22 | 22-04-2022 09:18:38 AM | SHANKAR LAL | 6376493456 | SCHOLARSHIP/2021-22/4926245 (YEAR 2) | SC | SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE | SCHOLARSHIP DISBURSED | **15** | |
| 10 | 2021-22 | 30-04-2022 10:48:08 AM | ANIL KUMAR | 9509157590 | SCHOLARSHIP/2021-22/4358504 (YEAR 2) | SC | SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE | SCHOLARSHIP DISBURSED | **7** | |
| 11 | 2021-22 | 30-04-2022 10:48:08 AM | SUMAN LILAWAT | 9784240707 | SCHOLARSHIP/2021-22/4375260 (YEAR 2) | SC | SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE | SCHOLARSHIP DISBURSED | **7** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2021-22 | 30-04-2022 10:48:16 AM | JATAN LAL | 6378259836 | SCHOLARSHIP/2021-22/4687765 (YEAR 2) | SC | SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE | SCHOLARSHIP DISBURSED | 7 | |
| 13 | 2021-22 | 30-04-2022 10:48:16 AM | JYOTI SUMBRA | 9982311891 | SCHOLARSHIP/2021-22/4873914 (YEAR 1) | SC | SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE | SCHOLARSHIP DISBURSED | 7 | |
| 14 | 2021-22 | 03-05-2022 09:03:00 AM | SUNIL KUMAR KANTIWAL | 8890191531 | SCHOLARSHIP/2021-22/4190913 (YEAR 1) | SC | SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE | SCHOLARSHIP DISBURSED | 4 | |

## Institute

Name : **MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY INSTITUTE**

Registration Date : **02/01/2017**

Audit Trail (Course Mapping) : View

## Course

Course Running By Institute, University-wise: View

Student Section

*Academic Year/ शैक्षिक सत्र

2021-22

*Department/ विभाग

COLLEGE EDUCATION

Status/ स्थिति

SCHOLARSHIP DISBURSED

*Scheme Name/ योजना का नाम

CM HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIP SCHEME

Search Criteria

--SELECT--

ENTER VALUE

No records found.

## Institute

Name : **MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY INSTITUTE**

Registration Date : **02/01/2017**

Audit Trail (Course Mapping) : View

## Course

Course Running By Institute, University-wise: View

Student Section

*Academic Year/ शैक्षिक सत्र

2021-22

*Department/ विभाग

COLLEGE EDUCATION

Status/ स्थिति

SCHOLARSHIP DISBURSED

*Scheme Name/ योजना का नाम

KALI BAI BHEEL MEDHAVI CHHATRA SCOOTY YOJANA (PAS

Search Criteria

--SELECT--

ENTER VALUE

No records found.

NSP 2.0

Scholarship Recipients (Fresh)

| Sr. # | Application Id | Name/Father's Name | Mobile | Course Name | Name of Scheme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJ202122009610437 | AIZAZ AHMAD /MOHAMMAD HANEEF | XXXXXX2386 | MASTER OF ARTS(GEOGRAPHY) | POST MATRIC SCHOLARSHIP SCHEMES MINORITIES CS |

# NSP 2.0
## Verified Application List (Fresh)

| Sr. # | Application Id | Name / Father's Name | Mobile | Course Name | Name of Scheme | Current Application Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INRJ2122008090740 | LAXMI SONI / SHAMSHER SINGH SONI | 6378557765 | MASTER OF ARTS(HISTORY) | PG INDIRA GANDHI SCHOLARSHIP FOR SINGLE GIRL CHILD | Application is permanently rejected by Ministry |
| 2 | RJ202122003630367 | AMAN KHAN / LAL KHAN | 9784511096 | BACHELOR OF ARTS AND BACHELOR OF LAW (BABL) | POST MATRIC SCHOLARSHIP SCHEMES MINORITIES CS | You are not selected in the merit list |
| 3 | RJ202122005184658 | SHAHIN QUADRI / ZAMEER AHMED QUADRI | 7877872059 | BACHELOR OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE(B.LIB.I.SC) | POST MATRIC SCHOLARSHIP SCHEMES MINORITIES CS | You are not selected in the merit list |
| 4 | RJ202122005656442 | SIMRAN AFTAB / Aftab ahmed | 8690551789 | BACHELOR OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE(B.LIB.I.SC) | POST MATRIC SCHOLARSHIP SCHEMES MINORITIES CS | You are not selected in the merit list |
| 5 | RJ202122009610437 | AIZAZ AHMAD / MOHAMMAD HANEEF | 9116702386 | MASTER OF ARTS(GEOGRAPHY) | POST MATRIC SCHOLARSHIP SCHEMES MINORITIES CS | Application sent to PFMS for Payment |
| 6 | RJ202122009911652 | IMRAN / Jafar Ali | 9414372961 | BACHELOR OF ARTS AND BACHELOR OF LAW (BABL) | POST MATRIC SCHOLARSHIP SCHEMES MINORITIES CS | You are not selected in the merit list |

# कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

रानी बाजार, चोपड़ा कटला, बीकानेर.

Call Us: 0151-2226681; Mail Us: dlo.bik@rajasthan.gov.in; Know Us: sje.rajasthan.gov.in;

कमांकः– सान्याअवि/बीका/उ.मै.छ./2021/5523–5648 दिनांकः– 9.6.2021

**अति–आवश्यक**

श्रीमान प्राचार्य / प्रिंसिपल,
राजीकय / गैर राजकीय महाविद्यालय,
(समस्त), बीकानेर (राज.)।

विषयः– छात्रवृति योजना के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक के लिए नवीन दिशा निर्देश जारी करने बाबत।

विषयः– श्रीमान निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, राज. जयपुर के पंत्राक एफ9(4)(31) उ.मै.छ. /साज्ञन्याअवि /2020–21 /887–100 दिनांक 04.06.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना तथा अनुसूचित जाति/ अनु. जनजाति पिछडा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग) / अन्य पिछडा वर्ग आर्थिक पिछडा वर्ग / विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्घघुमन्तु/ मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजनाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2021–22 से 2025–26 तक के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नवीन दिशा–निर्देश जारी किये गये है। नवीन दिशा–निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय / बोर्ड /काउन्सिल एवं शिक्षण संस्थानों हेतु जारी महत्वपूर्ण निर्देश की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

| क्रम स. | सत्र | दिशा–निर्देश | वि.वि |
|---|---|---|---|
| 01 | शैक्षणिक सत्र 2021–22 से अग्रिम दिशा–निर्देशों तक | • शिक्षण संस्थान विधार्थी की उपस्थिति आधार आधारित दर्ज करना सुनिश्चित करावें।<br>• विभागीय छात्रवृति पोर्टल पर शिक्षण संस्थाओं के पंजीयन हेतु AISHE/UDISE CODE अनिवार्य है।<br>• उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानो को सत्र 2024 से पूर्व NAAC/NBA accreditation होना अनिवार्य होगा। | समस्त शिक्षण संस्थान द्वारा उक्त निर्देशो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें। |
| 02 | शैक्षणिक सत्र 2016–17 से 2020–21 तक | • कतिपय शिक्षण संस्थानां द्वारा छात्रवृति आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्तर पर अग्रेषित नही किये जाने के कारण अत्यधिक संख्या में छात्रवृति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान पर लंबित है। जिसके कारण विद्यार्थियों को छात्रवृति का भुगतान नहीं हो रहा है।<br><br>अतः विभागीय छात्रवृति पोर्टल पर पंजीकृत सभी शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में छात्रवृति आवेदन पत्रों की जांच कर आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन अग्रेषित करावें अन्यथा निर्धारित समयावधि उपरान्त शिक्षण संस्थान स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों को विभाग द्वारा स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त कारणवशः यदि विद्यार्थी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने पर किसी तरह की आर्थिक देयता का निर्धारण किया जाता है तो संबंधित शिक्षण संसथान ही उत्तरदायी होगा। | समस्त शिक्षण संस्थान द्वारा उक्त निर्देशो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें। |

सलग्नः–उपरोक्तानुसार

उपनिदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
बीकानेर

कमांकः– सान्याअवि/बीका/उ.मै.छ./2021/ दिनांकः– ...................

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ सादर प्रेषित हैः–

01. श्रीमान निदेशक एवं सयुक्त शासन सविव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक, छात्रवृति एवं छात्रावास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थानख जयपुर।
03. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर।

उपनिदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
बीकानेर

D:\Ashok\dk2019-20

Scanned by CamScanner

## कार्यालय, उपनिदेशक–सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर

क्रमांक :– सान्याअवि/उ.मै.छा.यो./2021–22/ 107-44-10850 दिनांक :– 09/11/2021

राजकीय/निजी शिक्षण संस्थान (समस्त)
बीकानेर

विषय :– शैक्षणिक सत्र 2021–22 में अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाने बाबत्।

प्रसंग :– श्रीमान निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश कमांकःएफ 9(4)(33)उ.मै.छा/सान्याअवि /पोर्टल/कार्ययोजना/2021–22/2572 दिनांक 3.11.2021

महोदय,

**उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके महाविद्यालय में सत्र** 2021–22 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर एंव मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यकमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों (कक्षा 11वीं एवं 12वीं के अतिरिक्त) द्वारा वेबसाईट *www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/ scholarship* अथवा एसएसओ पोर्टल पर *Scholarship sje App* पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाईन पंजीकरण करने, आवेदन भरने के लिए तिथिया निर्धारित कर दी गई है।

| कसं | विषय वस्तु | निर्धारित तिथियां |
|---|---|---|
| 1 | उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र पजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन/पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अद्यतन करने करने के लिए पोर्टल **प्रारंभ करने की तिथि** | 08 नवम्बर 2021 |
| 2 | उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र पजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन/पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अद्यतन करने करने के लिए अंतिम तिथि/पोर्टल **बन्द करने की तिथि** | 30 नवम्बर 2021 |

**शिक्षण संस्थान अपने छात्रवृति शाखा/नोडल प्रभारी को महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर उक्त सूचना चस्पा करवाने हेतु निर्देशित करावें। साथ ही विभाग समय समय पर जारी छात्रवृति संचालन नियमों का सूक्ष्मता से अध्ययन एवं अवलोकन करके ही छात्रवृति आवेदन पत्रों की जांच करने एवं केवल सही आवेदन पत्र ही संबधित जिला कार्यालय को अग्रेषित करने हेतु निर्देशित करावें।**

**जिन महाविद्यालयों द्वारा संबधित विश्वविधालय से शैक्षणिक सत्र 2021–22 की मान्यता/सम्बद्वता एवं पाठ्यकम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है वे संस्थाएं छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नही होगी। इसके आभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नही कर सकेंगें। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबधित महाविद्यालय की होगी।**

**संलग्नः–उपरोक्तानुसार**

भवदीय

उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
बीकानेर

**क्रमांक :– सान्याअवि/उ.मै.छा.यो./2021–22/** **दिनांक :– /2021**

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. श्रीमान अति.निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर

उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
बीकानेर

Scanned by CamScanner

**राजस्थान सरकार**
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**
**जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर**

क्रमांक : एफ 9(4)(33)उ.मै.छा./सान्याअवि/पोर्टल/कार्ययोजना/2021-22/2572 दिनांक : 03.11.21

**आदेश**

शैक्षणिक सत्र 2021–22 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग)/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय,राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों (कक्षा 11वीं एवं 12वी के अतिरिक्त) द्वारा वेबसाईट **www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship** अथवा एसएसओ पोर्टल पर **SCHOLARSHIP SJE App** पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :–

| क्र.स. | विषय वस्तु | निर्धारित तिथियां |
|---|---|---|
| 1 | उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन/ पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अद्यतन करने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि | **08 नवम्बर, 2021** |
| 2 | उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन/पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अद्यतन करने के लिए अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि | **30 नवम्बर, 2021** |

**नवीन छात्रवृति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2021–22 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते है :–**

1. आय सीमाः–

(अ) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग–SBC) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.50 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

(ब) अन्य पिछडा वर्ग (OBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 1.50 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। *जैसे– बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/ पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/ पुत्र।(उक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यनतम 60प्रतिशत प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी)*

Scanned by CamScanner

(स) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 1.00 लाख रूपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल **राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी** ही आवेदन कर सकेंगे

(द) डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.00 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

(य) मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 5.00 लाख रू. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं **(विभाग द्वारा सूचीबद्ध)** में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

2. सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन स्वंय पासवर्ड सृजित कर अथवा ई–मित्र/साइबर कैफे/शैक्षणिक संस्थान से आवेदन करने पर समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वंय कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र को सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाईन फाइनल सबमिट करें।

3. छात्र/छात्रा मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी स्वंय की ही दें।

4. **दस्तावेजः–** उक्तानुसार छात्रवृति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाऐं तैयार रखना आवश्यक होगा सभी दस्तावेज जनाधार/राज ई वोल्ट/डीजी लॉकर से ऑनलाइन ही लिये जाएंगे **जैसे– आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिकाऐं आदि।** वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर **मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।**

   जैसे – गत अंतिम परीक्षा की अंकतालिका, फीस की मूल रसीद,अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक हेतु चिन्हित श्रेणी अनुसार वांछित दस्तावेज आदि।

5. **विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना व आय विवरण में परिवर्तन :–** नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर, आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय का विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकार्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता होने पर शैक्षणिक रिकार्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।

6. **जनाधार आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।**

7. विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या जनाधार में उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में छात्रवृति राशि जनाधार कार्ड में अंकित विद्यार्थी अथवा परिवार के मुखिया के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरण करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को जनाधार पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार हैः–

   a. छात्रवृत्ति आवेदन आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. (KYC) पूर्ण स्वंय का खाता हो।

   b. छात्र के खाते में लेन–देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय–अन्तराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृति की कुल धनराशि छात्र के खाते में

Scanned by CamScanner

ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।

C. बैक खाता बन्द एवं अक्रियाशील (Inoperative) न हो ।

8. फीस की रसीद में अंकित 8 मद यथा 1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee), 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee), 3.शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), 4.खेल–कूद शुल्क (Games Fee), 5.संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee), 6.पुस्तकालय शुल्क (Library Fee), 7.पत्रिका शुल्क (Magazine Fee), 8.परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का योग एवं अनुरक्षण भत्ता का योग ही छात्रवृति हेतु देय है। अतः शैक्षणिक संस्थान इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।

9. **शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयनः**– आवेदन में केवल छात्रवृत्ति पोटल पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान व उसके पाठ्क्रम आवेदन हेतु प्रदर्शित होंगे। विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।

10. **शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शनः**– जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2021–22 की मान्यता/सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है वे संस्थाएं छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी।इसके अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेगें।

11. वर्ष 2019–20 से राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र विद्यार्थी के गृह जिले (बोनाफाइड सर्टिफिकेट) के जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किये जाऐंगे। जयपुर जिले में सांगानेर ,झोटवाड़ा एवं आमेर तहसील के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (शहर) कार्यालय में एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों (सांगानेर,झोटवाड़ा एवं आमेर तहसीलों को छोडकर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय में अग्रेषित (Forward) किये जायेंगे।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत जानकारी **www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship** अथवा विभागीय वेब साइट पर एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

**(ओ.पी.बुनकर)**
**निदेशक एवं पदेन**
**संयुक्त शासन सचिव**

Scanned by CamScanner

क्रमांक : एफ 9(4)(33)उ.मै.छा./सान्याअवि/पोर्टल/कार्ययोजना/2021-22/ 2573-2595 दिनांक : 03.11.21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः—

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग , जोधपुर।
9. वरिष्ठ प्रोजैक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर।
10. जिला कलेक्टर्स/कोषाधिकारी, (समस्त)।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
12. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
13. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त..............।
14. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त..............................................।
15. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त..........................।
16. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/ राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त............।
17. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त...............................।
18. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.............................।
19. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई—मेल करवाने हेतु।
20. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोकतानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार—प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
21. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
22. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

Scanned by CamScanner

राजस्थान-सरकार

**कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, बीकानेर**

**(चौपडा कटला, रानी बाजार, बीकानेर)** ☎0151-2201008, **E-mail:-bknr.mino@gmail.com**

क्रमांकः— असमावि / बीका / छात्रवृत्ति / 2021—22 / 432 दिनांकः—16.08.2021

1. प्रभारी छात्रवृत्ति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. सचिव, तकनीकी शिक्षा बोर्ड, जोधपुर राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. समस्त राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थान, बीकानेर।

विषयः— वर्ष 2021—22 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र—छात्राओं हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं के.वाई.सी. बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि वर्ष 2021—22 में अल्पसंख्यक समुदाय हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजना हेतु जिले के समस्त राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थान का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीयन एवं आधार के.वाई.सी. करवाया जाना अनिवार्य हैं। पंजीयन एवं आधार के.वाई.सी. के अभाव में संस्थान में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र—छात्राओं को उक्त योजनाओं से लाभान्वित किया जाना संभव नहीं होगा। अतः संलग्न सूची अनुसार आपके अधीन संचालित समस्त राजकीय / निजी शिक्षण संस्थाओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकृत करवानें का श्रम करावें एवं पंजीकृत शिक्षण संस्थाओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आधार के.वाई.सी. करवाये जाने हेतु निर्देश प्रदान करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

शहजाद

**(शहजाद अहमद)**
**जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी**
**अल्पसंख्यक मामलात् विभाग,**
**बीकानेर**